

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 83/2026

राम सनेही

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सत्य प्रिया मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 54

माननीय दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रार्थना के साथ किया है:- "A. एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देशित किया जाए कि वे वाद संख्या 28/2025, यू.पी.सी.एच. नियमावली के नियम 109 ए(1) के तहत (राम सनेही बनाम राज्य), मौजा-माधोपुर, टप्पा- केवटली, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर, जो चकबंदी अधिकारी रुस्तमपुर, गोरखपुर (प्रत्यर्थी संख्या 2) के समक्ष दिनांक 26.03.2025 से विचाराधीन लंबित है, को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायनिर्णित और तय करें।"
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि यदि उपर्युक्त मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी किया जाता है।
4. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका में वर्णित मामले के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है, और चकबंदी अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 2), जिनके समक्ष उपर्युक्त मामला निस्तारण हेतु लंबित है, को यह निर्देश देता है कि वे इसे शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर तय करें।
5. यह अपेक्षा की जाती है कि इसे संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, कानून के अनुसार एक तर्कसंगत और सुस्पष्ट आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।
6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

प्रियंका